पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(नैक द्वारा ग्रेड A+ प्रदत्त)
दूरभाष क्रमांक : (07752) 210312 फैक्स : (07752) 213073
www.pssou.ac.in **Email – registrar@pssou.ac.**

क्र. 257 / क्षे.से.प्र. / 2023 बिलासपुर, दिनांक 02 / 01 / 2024

/ / प्रवेश अधिसूचना– जनवरी से दिसम्बर 2024 / /

शैक्षणिक सत्र जनवरी से दिसम्बर 2024 के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संचालित निम्नलिखित पाठ्यक्रमों मे दूरवर्ती शिक्षा के अंतर्गत ऑनलाईन प्रवेश प्रारंभ किये जाते है।

1. प्रवेश (ऑन लाइन) प्रारंभ होने की तिथि – 01 जनवरी 2024 से पूर्वान्ह 09:00 बजे से।
2. प्रवेश (ऑन लाइन) की अंतिम तिथि – 28 फरवरी 2024 रात्रि 11:59 बजे तक।

कार्यक्रम	पाठ्यक्रम का नाम	न्यूनतम अर्हता	न्यूनतम अवधि
स्नातक	बी. कॉम.	10+2 (वाणिज्य समूह)	03 वर्ष
	बी.बी.ए.	10+2 (वाणिज्य समूह)	03 वर्ष
स्नातकोत्तर	एम. कॉम.	स्नातक	02 वर्ष
पी.जी. डिप्लोमा	पी.जी. डिप्लोमा इन लेबर लॉ एण्ड लेबर वेलफेयर	स्नातक	02 वर्ष
डिप्लोमा	डिप्लोमा इन कम्प्युटर एपलिकेशन	10+2 हायर सेकेण्डरी	01 वर्ष
	डिप्लोमा इन योग साइंस	स्नातक	01 वर्ष
	रामचरितमानस में विज्ञान से सामाजिक उत्थान में डिप्लोमा	10+2 हायर सेकेण्डरी	01 वर्ष
सर्टिफिकेट कोर्स	सर्टिफिटकेट इन गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (GST)	स्नातक (बी.कॉम.)	6 माह

टीप:– विस्तृत जानकारी हेतु विश्वविद्यालय के वेबसाइट **www.pssou.ac.in** में देखा जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु दिशा–निर्देश

1. ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के फार्म सही ढंग से भरने के लिए वि.वि. की वेबसाइट **http://pssou.ac.in** में विजिट कर **Online Admission** लिंक पर क्लिक करें।
2. ऑनलाइन फार्म भरने से पूर्व सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ लें। आप निर्देश पुस्तिका विश्वविद्यालय की वेबसाइट **http://pssou.ac.in/**से डाउनलोड कर सकते है।
3. ऑनलाइन फार्म भरने हेतु छात्र निम्न में से आवश्यक दस्तावेंजो की स्कैन कॉपी अपने साथ तैयार रखें – 10 वीं एवं अंतिम शैक्षणिक योग्यता, पात्रता प्रमाण–पत्र, प्रवजन प्रमाण–पत्र, चालान प्रति (**Size 200 kb**), पासपोर्ट साइज कलर फोटो (**Size 50 kb**) एवं अपना हस्ताक्षर (**Size 20 kb**)।
4. ऑनलाइन फार्म भरते समय हिंदी मे अपना नाम, पिता/पति का नाम एवं माता का नाम स्पष्ट भरें तथा सुनिश्चित करे कि नाम हिंदी में ही हो इसी के आधार पर प्रमाण–पत्र जारी किए जायेंगे।
5. छात्र प्रवेश फार्म में दी गई समस्त जानकारी (पाठ्यक्रम विवरण, अध्ययन–केंद्र, विषय आदि) सावधानीपूर्वक भरें तथा आवश्यक दस्तावेज, फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करें।

6. निर्धारितप्रवेशशुल्क का भुगतान दो प्रकार से किया जा सकेगा–

- ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से – क्रेडिट/डेबिट कार्ड (**ATM Card**), इंटरनेट बैंकिंग।
- बैंक चालान के माध्यम से (ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा)।
- प्रवेशार्थी को निः शुल्क पोर्टल की सुविधा है, प्रवेशार्थी से किसी भी प्रकार का पोर्टल शुल्क नहीं लिया जाएगा।

7. यदि विद्यार्थी चालान से भुगतान करना चाहता है तो विद्यार्थी पहले चालान द्वारा बैंक में शुल्क जमा करें तत्पश्चात् बैंक चालान लेकर प्रवेश फार्म भरें। जहाँ शुल्क भुगतान विवरण मे चालान द्वारा शुल्क भुगतान को क्लिक करें, तथा चालान में अंकित बैंक का नाम जर्नल क्रमांक एवं चालान जमा करने का दिनाँक एवं राशि का विवरण भरना होगा। चालान को स्केन कर अपलोड कराना होगा तथा ऑनलाइन फार्म पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् विद्यार्थी भरे हुए फार्म की दो प्रति प्रिंट प्राप्त कर एक प्रति को बैंक चालान प्रति– "कार्यालय प्रति (प्रवेश विभाग)" के साथ अपने अध्ययन–केन्द्र में जमा करेगा। (चालान का प्रतिरूप छात्र वि.वि. के अध्ययन –केन्द्रों से अथवा वि.वि. के वेबसाइट से प्राप्त कर सकते है।)
8. ऑनलाइन शुल्क का भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् विद्यार्थी भरे गए प्रवेश फार्म का स्लिप प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखें।
9. छात्रों के प्रवेशित फार्म एवं जमा शुल्क का सत्यापन क्षेत्रीय–केंद्रों में स्वतः होगा। सत्यापित प्रवेश फॉर्म की सूचना 8 से 10 दिवस में शिक्षार्थी द्वारा दी गई मोबाइल नं. में **SMS** के द्वारा दी जावेगी। फार्म एवं शुल्क वैध न पाये जाने पर विद्यार्थी को आपत्तियो की जानकारी **SMS** के द्वारा दी जावेगी तथा विद्यार्थी को इन आपत्तियो का निराकरण एक सप्ताह में पूरा करना होगा। अन्यथा विद्यार्थी को प्रवेश की पात्रता प्राप्त नहीं होगी, जिसका जिम्मेदार विद्यार्थी स्वयं होगा।
10. ऑनलाइन प्रवेश/पंजीयन प्रक्रिया तिथि 01 जनवरी 2024 से 28 फरवरी 2024 तक।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ.क्र. 258/RSD/23 बिलासपुर, दिनांक 02/01/2024

प्रतिलिपिः

1. माननीय राज्यपाल के प्रमुख सचिव को माननीय राज्यपाल के सूचनार्थ।
2. सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सूचनार्थ।
3. सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग को सूचनार्थ।
4. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय को सूचनार्थ।
5. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
7. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
8. क्षेत्रीय समन्वयक– बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, अम्बिकापुर, जशपुर, जगदलपुर, उप क्षेत्रीय केन्द्र कांकेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. प्रभारी .... विभाग को सुचनार्थ।
10. संपादक दैनिक .... को इस आशा के साथ कि अधिसूचना अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के सभी संस्करणों में समाचारवृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करेगें।
11. विभाग प्रमुख ऑनलाईन , सर्वर शाखा/वेबसेल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिसूचना को वि.वि. के वेबसाईट में अपलोड एवं ऑनलाईन हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

कुलसचिव